रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232467
CG-DL-E-06012022-232467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943
No. 68] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

का.आ. 69(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचित करता है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन गैर लाभकारी संगठन (2013 का 18)] को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से डोमेन बुकिंग प्रक्रिया में स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है।

2. नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सी) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) आधार अधिप्रमाणन के उपयोग के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन करेंगे।

3. निक्सी के अधीन, आईएनरजिस्ट्री कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन (सीसीटीएलडीएस) का यानि, .आईएऩ डोमेन का संचालन और इसकी परिचालन स्थिरता, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी का कार्य है ।

4. चूंकि आधार आधारित अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होता है, इसलिए कागज आधारित केवाईसी का उपयोग तब किया जाता है, जब रजिस्ट्रीकरणकर्ता आधार कार्ड के अलावा अपनी अन्य सरकारी पहचान प्रस्तुत करता है और इस प्रक्रिया में, उपभोक्ता अपने दस्तावेजों की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रतियों को निक्सी पर अपलोड या मेल करते हैं। प्रस्तुत विवरण की विधिमान्यता का सत्यापन मोबाइल और ई-मेल केवाईसी (ओटीपी के माध्यम से) के माध्यम से किया जाएगा ।

5. ग्राहक निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई स्व-सत्यापित प्रतियां प्रदान कर सकते हैं:

i. फोटो के साथ बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

ii. मतदाता पहचान पत्र; या

iii. राशन कार्ड; या

iv. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

v. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

vi. पासपोर्ट; या

vii. संस्था की मुहर से जारी किया गया पहचान पत्र; या

viii. आधिकारिक लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाली पहचान का प्रमाण पत्र; या

ix. केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

[फा. सं. एल-13014/10/2020-आईजीडी]

डॉ. जयदीप कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

S.O. 69(E).—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Electronics and Information Technology, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the National Internet Exchange of India [a not for profit Organisation under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)] is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, in domain booking process, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The National Internet Exchange of India (NIXI) and Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) shall follow the guidelines issued by the Central Government with respect to use of the Aadhaar authentication.

3. Under NIXI, the INRegistry is a function with primary responsibility for managing the Country Code Top Level Domains (ccTLDs) that is, operationalisation of .IN domain and ensuring its operational stability, reliability and security

4. As Aadhaar based authentication is on voluntary basis, paper based KYC may be used, when registrant provides Government identity card other than Aadhaar card, and in this process, the customer is required to upload or mail the scanned self-attested copies of his documents with the NIXI and the verification of the validity of the details submitted shall be done through mobile and E-mail KYC (through OTP).

5. Customers may provide scanned self-attested copies of the following documents :--

(i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or

(ii) Voter Identity Card; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(v) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Passport; or

(vii) Identity Card issued under seal of the institution; or

(viii) Certificate of Identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(ix) Any other document as specified by the Central Government.

[F.No. L-13014/10/2020-IGD]

DR. JAIDEEP KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.01.06 21:13:35 +05'30'